गोपाल नारायण

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य

3 सितम्बर, 1963

[पी.बी. गजेन्द्रगडकर, के. सूब्बा राव, के.एन. वान्चू, एन. राजगोपाला अय्यर और जे.आर. मधूकर जे.जे.]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 19(1)(च) - नगरपालिका - वर्गीकरण करने की मनमानी शक्ति - नीति और मार्गदर्शन - व्यक्त या निहित - कानून से एकत्र किया जाना - किसी शहर का भौगोलिक विभाजन - उस हिस्से में विशेष कर - भेदभावपूर्ण - वैद्यता - अधिसूचना में गलत खंड का उल्लेख शक्ति को प्रभावित नहीं करता है - उत्तरप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू.पी. अधिनियम संख्या ।।, 1916), धारा 128(1),131(1)(ज)

बरेली शहर मूल रूप से दो भागों से बना था। 1870 में, इन दोनों हिस्सों के बीच के खाली क्षेत्र को नगरपालिका द्वारा काफी लागत पर एक नए आवासीय क्षेत्र में विकसित किया गया था। इस क्षेत्र के निवासियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई और गृह कर लगाया गया। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के लागू होने के बाद नगर पालिका ने 1939 से इस क्षेत्र में पहले शौचालय कर और बाद में सफाईकर लगाया।

याचिकाकर्ता जो इस क्षेत्र का निवासी और घर का मालिक है, ने नगर पालिका द्वारा लगाए गए करों की वैधता के संबंध में सवाल उठाते हुए वर्तमान याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुख्य तर्क थे - (i) एस. 128(1) यू.पी. नगरपालिका अधिनियम, जहां तक यह अधिकृत है नगर निगम बोर्ड में उल्लिखित करों को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 14 नगरपालिका को आहत करता है, शून्य था। (ii) भले ही धारा ने उक्त अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया हो, नगर निगम बोर्ड द्वारा गृह कर और सफाईकर नामक दो कर लगाने, उन्हें केवल नए क्षेत्र (सिविल लाइन) तक सीमित रखने की अधिसूचना शून्य थी क्योंकि इस तरह के अधिरोपण को वर्गीकरण के सिद्ंत के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। (iii) कर अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में लगाए गए थे और इसलिए, उनके भवन के संबंध में उस पर अधिरोपित कर अनुच्छेद के तहत उसके उसके अधिकार का उल्लंघन है। संविधान की धारा 19 (1)(च); और (iv) अधिनियम की धारा 131 (1)(बी) ने भी अनुच्छेद का उल्लंघन किया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्गीकरण के लिए कोठ स्पष्ट नीति निर्धारित किए बिना किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग पर किसी भी राशि का कर लगाने के लिए नगरपालिका बोर्ड को मनमानी शक्ति प्रदान की गई है।

माना गयाः (i) जबकि अदालत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कानून में किसी स्पष्ट कमी को छिपाने के लिए अटकलों के क्षेत्र में प्रवेश न करे, वह वैध रूप से ऐसी नीति की खोज कर सकती है, यदि यह प्रासंगिक के निष्पक्ष पढने पर स्पष्ट रूप से समझ में आता है। नीति घोषणा के अभाव में एक अदालत को किसी अधिनियम से ऐसी नीति को कैसे बाहर निकालना चाहिए, यह सटीक रूप से निर्धारित करना न तो संभव है और न ही उचित है- यह प्रस्तावना सहित प्रत्येक अधिनियम के प्रावधान पर निर्भर करेगा। लेकिन जो कहा जा सकता है वह यह है कि नीति या तो स्पष्ट रूप से या कानून के प्रावधानों के आवश्यक निहितार्थ से स्पष्ट दिखाईदेनी चाहिए।

रामकृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस.आर. तेदूलकर, (1959), एस.सी.आर. 279, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, (1952) ए.सी.आर. 284, द्वारका प्रसाद लक्ष्मीनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1954) एस.सी.आर. 803, धीरेन्द्र कृष्णा मांडोल बनाम कानूनी मामलों के अधीक्षक और स्मरणकर्ता, (1955) 1 एस.सी.आर. 244 काठी रनिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य, (1952), एस.सी.आर. 435, पी. बालाकोटेह बनाम भारत संघ, (1958) एस.सी.आर. 1052 और मैसर्स पन्नालाल बिंजराज बनाम भारत संघ (1957) एस.सी.आर. 233 का संदर्भ लिया गया।

(ii) अधिनियम की धारा 7, 8 और 128 के उचित अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगरपालिका बोर्ड द्वारा करों के माध्यम से एकत्र की गईराशि का उद्देश्य मुख्य रूप से बोर्ड को नगरपालिका क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र के हिस्से में, जैसा भी माला हो, अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाना है। इन कर्तव्यों और कार्यों को नगरपालिका के पूरे क्षेत्र में एक ही बार में निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नगरपालिका के विभिन्न हिस्सों को सुविधाओ के प्रावधान के मामले में विशेष उपचार की आवश्यकता हो सकती है, तो यह उचित होगा कि नगरपालिका के एक हिस्से में कराधान की शिक्त को इस तरह के अलग अलग व्यवहार से संयोजित करें। यह विधायी मार्गदर्शन तीन खंडों से स्पष्ट है।

(iii) धारा द्वारा प्रकट की गईनीति को देखते हुए अधिनियम की धारा 7, 8 और 128 और वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुप्रयोग में कराधान के कानून को प्राप्त उदारवादी दृष्टिकोण को लागू करते हुए यह कहना संभव नहीं है कि इस प्रकार प्रकट की गईनीति समानता के नियम का उल्लंघन करती है।

खंडिगे शाम भट बनाम कृषि आयकर अधिकारी, कासरगोड (1963)

3 एस.सी.आर. 809, पुरूषोतम गोविंदजी बनाम बी.एम. देसाई(1955) 2 एस.सी.आर. 887, के. टी. मूपोल नायर बनाम केरल

राज्य (1961) 3 एस.सी.आर. 77 और बरेली नगर पालिका बनाम कुंदन लाल ए.आई.आर. 1959 ऑल 562 (एफ.बी.) का संदर्भ लिया गया।

(iv) सुविधाओ के मामले में पुराने शहर और सिविल लाइंस क्षेत्र के बीच अंतर इतना स्पष्ट है कि लगाए गए करों और कराधान के उद्देश्य से किए गए भौगोलिक वर्गीकरण और इसलिए, लागू करने वाली अधिसूचना के बीच एक उचित संबंध है। इसलिए उपरोक्त कर संविधान के अनुच्छेद 14 का का उल्लंघन नहीं करता है।

(v) यह अधिनियम की धारा 131, 132 और 133 में देखा जाएगा कि लगाए जाने वाले कर की दर और उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या व्यक्तियाें के वर्ग का अधिनियम के तहत कर योग्य विषय से उचित संबंध है। लगाईजाने वाली उक्त दर और उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा संशोधन के अधीन, प्रभावित पक्षों को अवसर देने के बाद एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान का अनुच्छेद 14 नगरपालिका बोर्ड को प्रदत्त शक्ति का उल्लंघन करने वाली एक मनमानी शक्ति हो।

(vi) हालांकि, वर्तमान मामले में कानून के अनुसार छोड़कर कोईभी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है, यह स्थापित नहीं किया गया है कि लगाए गए कर अधिनियम की धारा के किसी भी प्रावधान के

उल्लंघन में लगाए गए हैं। अधिनियम की धारा 131 और अन्य प्रासंगिक धाराएं कर की वैधता का प्रश्न किसी विषय के संबंध में कर लगाने की शक्ति के अस्तित्व पर निर्भर करता है। वर्तमान मामले में नगर पालिका बोर्ड के पास निश्चित रूप से सफाईकर लगाने की शक्ति थी। अधिसूचना में अधिनियम की धारा 128 के खंड xii का उल्लेख खंड xi के लिए गलती प्रतीत होता है और यह कर लगाने के लिए बोर्ड की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।

मूल क्षेत्राधिकारः 1962 की याचिका संख्या 12।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए।

जे.पी. गोयल, याचिका कर्ता के लिए।

सी.बी. अग्रवाल और सी.पी.लाल, अयाची संख्या 01 के लिए।

जी.एस. पाठक और सी.पी. लाल, अयाची संख्या 02 के लिए।

न्यायालय का निर्णय सूब्बा राव, जे. द्वारा दिया गया

इस याचिका पर अनुच्छेद 32 के तहत जुर्माना लगाया गया है। संविधान संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाता है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128(1) के अंतर्गत 1916 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 2, 1916), जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा, जहां तक यह नगर

पालिका बोर्ड को नगर पालिका के किसी भी हिस्से में उसमें उल्लिखित सभी या किसी भी कर को लगाने के लिए अधिकृत करता है।

बरेली उत्तरप्रदेश राज्य का एक पुराना शहर है। 19 वीं सदी के मध्य में इसमें संकरी गलियों वाले भीड़भाडत्र वाले इलाकों में स्थित छोटे घर शामिल थे। उक्त नगर क्षेत्र से कुछ दूरी पर उस समय भी छावनी क्षेत्र विद्यमान था। शहरी क्षेत्र और छावनी क्षेत्र के बीच उबड़ खाबड़ और अविकसित भूमि का एक हिस्सा था। बरेली के नगर निगम बोर्ड ने उक्त भूमि का एक हिस्सा अधिगृहीत किया और कुछ नाक भूमि के साथ मिलकर इसे काफी लागत पर विकसित किया। नव विकसित क्षेत्र का े सिविल लाइंस के नाम से जाना जाने लगा। उक्त तथ्य और प्रदान की गईसुविधाओ का विवरण नगर निगम बोर्ड की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में दिया गया है और बरेली शहर और छावनी का एक नक्शा भी संलग्न है। मानचित्र पर एक नजर डालने से पता चलता है कि बरेली शहर तीन अलग अलग ब्ला ॅकों पुराने शहर, छावनी और सिविल लाइंस में विभाजित है। सिविल लाइंस क्षेत्र पुराने शहर और छावनी के बीच स्थित है। हमारे पास जवाबी हलफनामे में दिए गए तथ्यों को अपनी भौगोलिक विशेषताओ और विकास के स्तर के आधार पर बरेली शहर के विभाजन का प्रतिनिधित्व करने वाले तथ्यों को स्वीकार न करने का कोईकारण नहीं है।

सिविल लाइंस क्षेत्र में जिसे नगर निगम बोर्ड ने अधिग्रहण और विकसित किया, उक्त बोर्ड ने 31 जनवरी, 1870 से गृह कर लगाया। वर्ष 1916 में उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिकाओ से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 जुलाई, 1916 को लागू हुआ। अधिनियम के लागू होने के बाद, पुराने कर को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1918 से सिविल लाइंस क्षेत्र में बरेली के नगर निगम बोर्ड द्वारा एक नया गृह कर लगाया गया। 25 मई, 1918 से शौचालय कर भी लगाया गया था, लेकिन 1 अप्रेल, 1939 से इसे सफाईकर से बदल दिया गया। याचिकाकर्ता, सिविल लाइंस क्षेत्र का निवासी है जिसके पास दरवाजा संख्या 43 वाला घर हैद्व इस घोषणा के लिए इस न्यायालय में यह रिट याचिका दायर की कि अधिनियम की धारा 128(1), जहां तक यह नगर निगम बोर्ड को नगर निगम क्षेत्र के किसी भी हिस्से में कर लगाने के लिए अधिकृत करती है, शून्य है और नगर निगम बोर्ड, बरेली के खिलाफ परमादेश की रिट जारी करने के लिए, उसे वसूली न करने का निर्देश देती है। उससे उक्त गृह कर एवं सफाईकर लिया गया। उक्त याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य और नगर निगम बोर्ड, बरेली को क्रमशः प्रतिवादी 1 और 2 बनाया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गोयल ने हमारे सामने छह तर्क उठाए, लेकिन उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित चार शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता हैः (1) अधिनियम की धारा 128(1), जहां तक

यह नगर निगम बोर्ड को लागू करने के लिए अधिकृत करती है। नगर पालिका के किसी भी हिस्से में उसमें उल्लिखित कर, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, इसलिए शून्य है। (2) भले ही धारा उक्त अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करती है, नगर निगम बोर्ड द्वारा उक्त दो करों, अर्थात् गृह कर और सफाईकर, को केवल सिविल लाइंस क्षेत्र तक सीमित रखते हुए जारी की गईअधिसूचना शून्य थी, क्योंकि करों को रद्द किया जा सकता था। वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। (3) उक्त कर अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में लगाए गए थे और इसलिए, उनकी इमारत के संबंध में उन पर लगाया गया कर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। (4) धारा 131(1)(बी) भी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, नगर निगम बोर्ड को वर्गीकरण के कोईस्पष्ट नीति निर्धारित किए बिना किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग पर किसी भी राशि का कर लगाने की मनमानी शक्ति प्रदान करता है।

नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री पाठक ने याचिकाकर्ता के उक्त तर्कों का खंडन किया। हम उचित स्थानों पर उनके तर्कों पर मनन करेंगे।

पहले तर्क की सराहना करने के लिए शुरूआत में अधिनियम की धारा 128 के प्रासंगिक भाग को पढना सुविधाजनक होगा।

धारा 128 (1) इस संबंध में राज्य सरकार के किसी भी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन, वे कर जो एक बोर्ड पूरे नगर पालिका या उसके किसी हिस्से में लगा सकता है-

(i) इमारतों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर;

(ii) एक सफाईकर।

नगरपालिका के किसी भी हिस्से में कर लगाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा कोईसामान्य नियम नहीं बनाए गए या विशेष आदेश जारी नहीं किए गए। यह तर्क दिया जाता है कि नगर पालिका के किसी भी हिस्से पर कर लगाने के लिए नगर निगम बोर्ड को दी गईशक्ति एक नग्न और मनमानली शक्ति है, यह अधिनियम किसी भ्ज्ञी नीति का खुलासा नहीं करता है या वैध वर्गीकरण बनाने के लिए कोईमार्गदर्शन नहीं देता है और इसलिए, यह धारा उक्त सीमा तक, संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। इस विषय पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है। रामकृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस.आर. तेदोल्कर में दास सी.जे. ने पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद बताया कि एक कानून जो संविधाना के अनुच्छेद 14 के तहत वैधता के प्रश्न पर विचार के लिा आ सकता है, उसमें उल्लिखित पांच वर्गों में से एक रखा जा सकता है। खण्ड (iii) और (iv), जो वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक हैं, पढते हैंः-

"(iii) कोईकानून अपने प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से व्यक्तियों या चीजों का कोईवर्गीकरण नहीं कर सकता है, लेकिन यह सरकार के विवेक पर छोड़ सकता है कि वह किन व्यक्तियों या चीजों का चयन और वर्गीकरण करे। इसके प्रावधाना लागू होने हैं। ऐसे कानून की वैधता या अन्यथा के प्रश्न का निर्धारण करते समय अदालत कानून को केवल इसलिए रद्द नहीं करेगी क्योंकि उसके सामने कोईवर्गीकरण दिखाईनहीं देता है या क्योंकि सरकार को ऐसा करने का विवेक दिया गया है। चयन या वर्गीकरण, लेकिन यह जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए आगे बढेंगे कि क्या कानून के चयन या वर्गीकरण के मामले में सरकार द्वारा विवेक के प्रयोग के मार्गदर्शन के लिए किसी सिदं्त या नीति की सहायता की हैद्व इस आधार पर कि कानून प्रतिनिधिमंडल के लिए प्रदान करता है, सरकार को मनमानी और अनियंत्रित शक्ति प्रदान करतना ताकि वह समान स्थिति वाले व्यक्तियों या चीजों के बीच भेदभाव करने में सक्षम हो सके और इसलिए, भेदभाव कानून में ही अंतर्निहित है। ऐसे मामले में अदालत कानून के साथ साथ ऐसे कानून के तहत की गईकार्यकारी कार्यवाही दोनों को रद्द कर देगी, जैसा कि उसने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर

अली सरकार, द्वारका प्रसाद लक्ष्मीनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और धीरेन्द्र कृष्णमंडल बनाम कानूनी मामलों के अधीक्षक और स्मरणकर्ता।"

"(iv) एक कानून अपने प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से व्यक्तियों या चीजों का वर्गीकरण नहीं कर सकता है और इसे सरकार के विवेक पर छोड़ सकता है। उन व्यक्तियों या चीजों का चयन और वर्गीकरण करें, जिन पर इसके प्रावधाना लागू होने हैं, लेकिन साथ ही ऐसे चयन या वर्गीकरण के मामले में सरकार द्वारा विवेक के प्रयोग के मार्गदर्शन के लिए एक नीति या सिद्ंत निर्धारित कर सकती है, न्यायालय कानून को संवैधानिक रूप से बरकराररखेगा। जैसा कि कैथी रनिंग राज्य बनाम सौराष्ट्र राज्य में किया गया था।"

इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम ने किसी भी नियम को लागू करने के उद्देश्य से नगरपालिका के किसी भी हिस्से के चयन के मामले में नगर निगम बोर्ड के मार्गदर्शन के लिए अधिनियम की धारा 128 में उल्लिखित कर के तहत एक नीति निर्धारित की है।

इस संदर्भ में, विधायिका की अपनी नीति के बारे में स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में अनिच्छा या असावधानी के कारण, अधिनियम के प्रावधानों

को निष्पक्ष रूप से पढने पर, यदि संभव हो तो, इसे उजागर करने के लिए अक्सर अदालतों पर भारी और कठिन बोझ डाला जाता है। कुछ अधिनियम स्पष्ट रूप से उस प्राधिकारी के विवेक के प्रयोग को निर्देशित करने के लिए नीति निर्धारित करते हैं, जिसे वर्गीकृत करने की शक्ति प्रदान की जाती है। कुछ अधिनियम, हालांकि वे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहते हैं, अपने प्रावधानों के माध्यम से स्पष्ट रूप से संकेत दे सकते हैं, आवश्यक निहितार्थ से, उनकी नीति उनके तहत एक प्राधिकारी को प्रदत्त विवेक के प्रयोग के लिए वास्तविक मार्गदर्शन प्रदान करती है। हालांकि, अदालत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कानानों में स्पष्ट कमी को छुाने के उद्देश्य से अटकलों के क्षेत्र में प्रवेश न करे, वह वैध रूप से ऐसी नीति की खोज कर सकती है, यदि यह प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधाना के निष्पक्ष पढने पर स्पष्ट रूप से समझ में आता है। इस न्यायालय ने काठी रनिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य में आसपास की परिस्थितियों के साथ अधिनियम की प्रस्तावना के आधार पर विधायिका की स्पष्ट नीति पाई। पी. बालाकोटेश बनाम भारत संघ में समग्र रूप से पढे गए अधिनियम की जांच पर और मैसर्स पन्नालाल बिंजराज बनाम भारत संघ प्रस्तावना से ही। बाद के निर्णयों में इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। लेकिन यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करना न तो संभव है और न ही उचित है कि नीति की स्पष्ट वैधानिक घोषणा के अभाव में अदालत को किसी अधिनियम से ऐसी नीति को कैसे बाहर करना चाहिए। यह प्रस्तावना सहित प्रत्येक अधिनियम के

प्रावधानों पर निर्भर करेगा। लेकिन जो कहा जा सकता है वह यह है कि नीति स्पष्ट रूप से या तो स्पष्ट रूप से या कानून के प्रावधानों से आवश्यक निहितार्थ के रूप में सामने आनी चाहिए।

अब, क्या अधिनियम नगरनिगम बोर्ड को अधिनियम की धारा 128 (1) के तहत अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए वास्तविक मार्गदर्शन प्रदान करता है? यह अधिनियम उत्तरप्रदेश राज्य में नगरपालिकाओ से संबंधित एक समेकन और संशोधन अधिनियम है। अधिनियम कीधारा 7 नगरपालिका बोर्ड के कर्त्तव्यों का वर्णन करती है। यह नगरपालिका बोर्ड को अन्य बातों के साथ साथ स्वच्छता, जल निकासी, सड़कें बिछाने, स्कूल, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, अस्पताल, प्रसूति केन्द्र और इसी तरह के अन्य से हुड़े कर्तव्यों के निर्वहन करने का निर्देश देता है। धारा 8 नगरपालिका बोर्ड को अपने विवेक से विशेष सुविधाएं प्रदान करने और उसमें उल्लिखित अन्य कर्त्तव्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है, जिसमें भारी व्यय शामिल है।

जब तक नगरपालिका के पास करों के माध्यम से धन एकत्र करने की शक्ति न हो तब तक कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा सकता है और विवेकाधीन कार्य नहीं किए जा सकते हैं। अधिनियम की धारा 128 नगरपालिका को ऐसी शक्ति प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि नगरपालिका बोर्ड उसमें उल्लिखित करों को पूरी नगरपालिका या उसके

किसी भी हिस्से में लगा सकता है। इन तीन प्रावधानों को निष्पक्ष रूप से पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नगरपालिका बोर्ड द्वारा करों के माध्ये सम एकत्र की गईराशिक का उद्देश्य मुख्य रूप से बोर्ड को नगरपालिका क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के एक हिस्से में, जैसा भी मामला हो, अपने कर्त्तवयों का निर्वहन करने में सक्षम बनाना है। यह तर्क दिया गया है कि इसमें कोईसंदेह नहीं है कि उक्त प्रावधानों का एक संयुक्त वाचन कराधान के उद्देश्य को इंगित कर सकता है, लेकिन यह किसी भी नीति का खुलासा नहीं करता है कि कैसे और किन परिस्थितियों में नगरपालिका बोर्ड कर लगाने के लिए नगरपालिका क्षेत्र के एक हिस्से का चयन कर सकता है, हम सहमत नहीं है। धारा 7 और 8 नगर पालिका के अनिवार्य कर्त्तव्यों और विवेकाधीन कार्यों की गणना करते हैं। इन कर्त्तव्यों और कार्यों को नगर पालिका के पूरे क्षेत्र में एक ही बार में निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें धीरे धीरे, नगरपालिका के क्षेत्र के एक हिस्से से शुरू करके, समय के साथ पूरे क्षेत्र को कवर करने की दृष्टि से लागू करना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि नगरपालिका क्षेत्र के एक हिस्से में आवश्यक सुविधाएं नगरपालिका के दूसरे हिस्से में आवश्यक सुविधाओ से भिन्न हो सकती है। यह भी हो सकता है कि क्षेत्र का एक हिस्सा, मिट्टी की प्रकृति, शहर के सुविकसित हिस्से से दूरी या ऐतिहासिक कारणों से, नगरपालिका के अन्य हिस्सों की तुलना में विकास के लिए बड़े निवेश की मांग करता है। यदि इतना कुछ स्वीकार किया जाता है, यानी, नगरपालिका

के एक हिस्से में कराधान की शक्ति को ऐसे अलग उपचार के साथ जोड़ना उचित होगा। जबकि पहले के दो खंड, आवश्यक निहितार्थ से, नगरपालिका को नगर पालिका के एक हिस्से में विशेष सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं, बाद वाला खंड उसे कर लगाने का अधिकार देता है तो उस भाग में, यदि ऐसा समझा जाए तो विधायी मार्गदर्शन उक्त तीन प्रावधानों से स्पष्ट है; कहने का तात्पर्य यह है कि, एक नगरपालिका शहर के एक हिस्से में कर लगा सकती है, यदि उस हिस्से को, उसकी विशिष्ट स्थिति के कारण या अन्यथा, विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी है, जिससे नगरपालिका पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।

अगला प्रश्न यह है कि क्या उक्त नीति संविधाना के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी शहर के सभी नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के किसी भी हिस्से में प्रदान की जाने वाली सुविधाओ में भाग लेंगे और इसलिए, नीति के अंतर्निहित वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोईउचित संबंध नहीं है, यह तर्क दिया जाता है कि शहर के एक हिस्से में प्रदान की गईअच्छी सड़कें, व्यापक पार्क, वद्युतीकरण, जल आपूर्ति आदि जैसी सुविधाओ का शहर के अन्य हिस्सों में निवासियों द्वारा समान रूप से लाभ उठाया जा सकता है और इसलिए, इस पर होने वाला खर्च सुविधाएं सामान्य राजस्व से पूरी की जानी चाहिए। ऐसा हो सकता है; लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ को कराधान के उद्देश्य से एक अलग इकाईके रूप में माने जाने वाले शहर के हिस्से को

दिए गएप्रत्यक्ष लाभ के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने खंडिगे शाम भट बनाम कृषय आयकर अधिकारी, कासरगोड में वर्गीकरण के सिद्धांत के संदर्भ में कराधान के एक कानून में कहा कि-

"कराधान कानून इस सिद्ंत का अपवाद नहीं हैः पुरूषोतम गोविंदजी बनाम बीएम देसाईऔर केटी मूपोल नायर बनाम केरल राज्य। लेकिन सिद्धांतों के अनुप्रयोग में, अदालतें, विभिन्न तत्वों की राजकोषीय समायोजन की अंतर्निहित जटिलता को देखते हुए,वर्गीकरण के मामले में विधायिका को बड़े विवेक की अनुमति देती है, जब तक कि वह उक्त सिद्धांत में अंतर्निहित मौलिक सिद्ंतों का पालन करती है। वर्गीकरण करने की विधायिका की शक्ति व्यापक सीमा और लीचीलेपन की है ताकि वह अपनी कराधान प्रणाली को सभी उचित और उचित तरीकों से समायोजित कर सके। धारा 7 और 8 और अधिनियम की धारा 128 के सिद्धांतों के अनुप्रयोग में कराधान का कानून एक उदार दृष्टिकोण प्राप्त करता है। वर्गीकरण के अनुसार यह कहना संभव नहीं है कि इस प्रकार प्रकट की गईनीति समानता के नियम का उल्लंघन करती है। इस न्यायालय ने एक से अधिक निर्णयों में कहा कि समानता खंड भौगोलिक वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है, बशर्ते कि भौगोलिक इकाइयों के बीच अंतर का प्राप्त की जाने वाली वस्तु से उचित संबंध हो। इस सिद्ंत को खंडिगे शाम भट्ट के मामले में कराधान कानून पर लागू किया गया है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने इससिद्ंत को भी स्वीकार किया कि वर्गीकृत करने की

विधायी शक्ति विस्तृत श्रंखला और लचीलेपन की है ताकि वह अपनी कराधान प्रणाली को सभी उचित और उचित तरीकों से समायोजित कर सके। यह "विलिस, संवैधानिक कानून" के पृष्ठ 590 पर इंगित किया गया है कि एक राज्य कराधान के प्रयोजन के लिए अनुमति देने में आक्षेपित धारा, जिसका कानून के उद्देश्य से उचित संबंध है, अर्थात् किसी विशेष इकाईके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशिष्ट परिस्थितियां जिनमें उनकी मांग होती है, किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करती है।

जिस प्रश्न पर अब हमें नर्णय लेने की आवश्यकता है उस पर बरेली नगर पालिका बनाम कुंदनलाल वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय की पूर्ण पीठ का ध्यान गया। पूर्ण पीठ ने बहुमत से, अधिनियम के प्रावधानों के निर्माण पर कहा कि नगरपालिका के उस हिस्से का चयन करने के लिए बोर्ड में निहित शक्ति जिसके भीतर कर लगाया जाना कोईमनमानी शक्ति नहीं है, बल्कि वह है जो उस उद्देश्य से नियंत्रित होती है जो अधिनियम द्वारा ही प्राप्त करने का इरादा था। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं।

अगला सवाला यह है कि क्या नगर निगम बोर्ड द्वारा सिविल लाइंस के क्षेत्र में उक्त कर लगाने की अधिसूचना संविधाना के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। नगर निगम बोर्ड की ओर से दाखिला शपथ पत्र और उसके साथ संलग्न मानचित्र से स्पष्ट है कि वर्ष 1870 से सिविल लाइंस के

दायरे में आने वाले क्षेत्र को विकास के मामले में एक अलग इकाईमाना गया है। उस क्षेत्र में सड़कें बनाईगई, अच्छे आकार के भवन भूखंड बनाए गए, और निर्माण के लिए चौड़ी सड़कों, खुले और बड़े भूखंडों के माध्यम से निवासियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। घरों में पार्क और बगीचे, विशेष प्रकाश व्यवस्था, सीमेंट बेंच के साथ फुटपाथ, जनता को पानी देने के लिए वाटरमैन के साथ साटर बूथ और विशेष स्वच्छता तर्क, जबकि बरेली के पुराने शहर क्षेत्र में भूमि के छोटे भूखंड शामिल थे, जिन पर छोटे घर भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित थे। संकरी गलियों वाले इलाके, नगरपालिका बोड़ै ने 31 जनवरी 1870 से ही सिविल लाइंस क्षेत्र में हाउस टैक्स लगा दिया और अधिनियम लागू होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू कर को फिर से लागू कर दिया। सफाईकर के मामले में दोनों क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अपनाए गए प्रतीत होते हैं। सिविल लाइंस क्षेत्र में नगरपालिका बोर्ड द्वारा प्रत्येक बंगले से मिट्‌टी और कूड़ा कचरा एकत्र किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्र में उन्हें प्रत्येक बोर्ड में एक सामान्य स्थान से एकत्र किया जाता है। पहले वाले में निश्चित रूप से दूसरे की तुलना में अधिक व्यय शामिल होत है। इसलिए यह देखा जाएगा कि लगभग 90 वर्षों तक सिविल लाइंस क्षेत्र को ऐतिहासिक कारणों और उस इलाके के निवासियों के लिए प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओ और भारी व्यय को ध्यान में रखते हुए कराधान के उद्देश्य से एक अलग भौगोलिक इकाईके रूप में माना गया है। नगर निगम बोर्ड द्वार ऐसा करने

पर रोक लगा दी गई। सुविधाओ के मामले में पुराने शहर और सिविल लाइंस क्षेत्र के बीच अंतर इतना स्पष्ट है कि लगाए गए करों और कराधान के उद्देश्य से किए गए भौगोलिक वर्गीकरण के बीच एक उचित संबंध है। इसलिए हमारा मानना यह है कि उक्त कर लगाने की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है।

अगला प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 131 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। अधिनियम की धारा 131 में लिखा है

(1) जब कोईबोर्ड कर लगाना चाहता है, तो वह विशेष संकल्प द्वारा यह निर्दिष्ट करते हुए प्रस्ताव तैयार करेगा

(a) कर, धारा 128 की उपधारा (1) में वर्णित करों में से एक है, जिसे वह लगाना चाहता है;

(b) व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को उत्तरदायी बनाया जाना हैद्व और संपति या अन्य कर चीज या परिस्थितियों का विवरण जिसके संबंध में उत्तरदायी बनाया जाना हैद्व सिवाय इसके कि ऐसा कोईवर्ग या विवरण पहले से ही पर्याप्त है खंड (a) के तहत या इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित;

(c) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से लगाईजाने वाली राशि या दर;

(d) धारा 153 में निर्दिष्ट कोईअन्य मामला, जिसे राज्य सरकार को नियम द्वारा निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। तर्क यह है कि यह धारा बोर्ड को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के खिलाफ किसी भी राशि का कर लगाने में सक्षम बनाती है। कर की दर या कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या व्यक्तियाें के वर्ग के निर्धारण के संबंध में कोईदिशानिर्देश। ऐसा कहा जाता है कि नगरपालिका बोर्ड को प्रदत्त उक्त शक्ति एक अनियंत्रित और नग्न शक्ति है। बोर्ड पर कर लगाने के लिए धारा 131 कोईशक्ति प्रदान नहीं करती है। धारा 128 ऐसी शक्ति प्रदान करती है और कराधान के विषय में वह अनुभाग सावधानीपूर्वक गणना करता है। धारा 131 उक्त करों को लगाने के लिए एक मशीनरी प्रदान करता है। उक्त करों को शून्य में नहीं लगाया जा सकता है। कराधान की दर और उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मशीनरी होनी चाहिए। यदि धारा 131 अकेली थी, तो टिप्पणी के लिए कुछ औचित्य हो सकता है, लेकिन यदि इसे धारा 128 के साथ पढा जाता है, यह किसी विषय के संबंध में कर और देय दर और उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के बीच एक उचित संबंध प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए धारा 128 नगरपालिका बोर्ड की किसी भीवन के वार्षिक मूल्य पर कर लगाने और एक व्यक्ति को, जो स्पष्ट रूप से भवन जुड़ा व्यक्ति होना चाहिए, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाने का अधिकार देता है। उन प्रश्नों को

तय करने के लिए धारा 131 के तहत एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित की गईहै। धारा 131 और अधिनियम की आगामी धाराओ के तहत नगर निगम बोर्ड कर, दर और कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग और उसके तहत निर्धारित ऐसे अन्य विवरणों को निर्दिष्ट करते हुए प्रस्ताव बनाता है। इसके बाद बोर्ड उक्त विवरण निर्धारित तरीके से प्रकाशित करता है। धारा 132 के तहत नगर पालिका का कोईभी निवासी उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से एक पखवाड़े के भीतर उस पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद बोर्ड प्रस्तुत की गईकिसी भी आपत्ति पर विचार करेगा और विशेष प्रस्ताव द्वारा उस पर आदेश पारित करेगा। यदि बोर्ड अपने प्रस्तावों को संशोधित करने का निर्णय लेता है, तो वह संशोधित प्रस्तावों को प्रकाशित करेगा और संशोधित प्रस्तावों पर आपत्ति भी की जा सकती है। बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश दिए जाने के बाद, वह आपत्तियों, यदि कोईहो, के साथ प्रस्तावों को प्रस्तुत करेगा। निर्धारित प्राधिकारी, धारा 133 के तहत इसके बाद निर्धारित प्राधिकारी प्रस्तावों और आपत्तियों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जो अंतिम आदेश देगी। जब प्रस्तावों को निर्धारित प्राधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मसौदा नियमों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाएगी। जब राज्य सरकार द्वारा नियमों को मंजूरी दे दी जाती है, तो उन्हें बोर्ड को भेजा जाएगा और उसके बाद बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा संकल्प में निर्दिष्ट तिथि से कर लगाने का निर्देश देगा। इसके बाद उक्त

संकल्प को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जाएगा कि लगाए जाने वाले कर की दर और उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग का अधिनियम के तहत कर योग्य विषयों से उचित संबंध है। लगाईजाने वाली उक्त दर और उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा संशोधन के अधीन, प्रभावित पक्षों को अवसर देने के बाद कए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसलिए, हम यह नहीं कह सकते कि नगरपालिका बोर्ड को प्रदत्त शक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली एक मनमानी शक्ति है।

विद्वान अधिवक्ता का अगला प्रश्न यह है कि उक्त कर अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करके लगाए गए थे। शुरूआत में यह देखा जा सकता है कि गृह कर 31 जनवरी, 1870 से लगाया गया था और शौचालय कर 23 मई, 1918 से लगाया गया था और बाद वाले कर को 1 अप्रेल, 1939 से सफाईकर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हालांकि दशकों बीत गए, लेकिन अब तक किसी ने भी इस आधार पर उन करों की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है कि प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। जब कोईवैधानिक प्राधिकारी कोईआदेश देता है तो यह धारण होती है कि उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है। सिविल लाइंस के निवासियों द्वारा लंबे समय से इस पद को स्वीकार करने से उक्त धारणा किसी भी तरह से कमजोर नहीं हुईहै। फिर भी कर कानून के अनुसार ही

लगाया या एकत्र किया जाएगा। यदि इसे कानून के अनुसार नहीं लगाया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत गैर गारंटी वाले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। जबकि कर लगाने और उस पर हमले के बीच की लंबी अवधि कुछ अनुमानों को बढाने की अनुमति दे सकती है जहां समय की बर्बादी से सबूत खो जाते हैं, यह वैधानिक प्राधिकारी को दोषमुक्त नहीं कर सकता है यदि वह कर लगाने पर कर लगाता है। इसलिए हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाईगईविशिष्ट आपत्तियों पर आगे बढेंगे।

धारा 131 से 136 तक कर लगाने के लिए अपनाए जाने वाले प्रक्रियात्मक कदम बनाते हैं। हम पहले ही एक अलग संदर्भ में उन अनुभागों का सारांश दे चुके हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नगर निगम बोर्ड ने अधिनियम की धारा 131(1) में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया है। (i) अधिनियम की धारा 131(1) के तहत किए गए प्रस्तावों में सभी आवश्यक विवरण नहीं दिए गए हैं। और (ii) सरकार ने अधिनियम के लागू होने के बाद धारा 131 और अधिनियम की आगामी धाराओ के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियम नहीं बनाए। प्रथम आपत्ति के संबंध में एक आरोप है। याचिकाकर्ता की ओर से हलफनामा दायर किया गया है, लेकिन दूसरी आपत्ति के संबंध में कोईआपत्ति नहीं है। इस तरह के मामले में, हलफनामे में इसके संबंध में किसी विशेष आरोप के अभाव में हम याचिकाकर्ता को दूसरे आधार पर कर की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है। पहले आधार के

संबंध में एक विशिष्ट आरोप है, लेकिन नगर निगम बोर्ड द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में इसका खंडन किया गया है। 5 अप्रेल, 1917 को नगरपालिका बोर्ड ने निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित किए-

> " बरेली नगरपालिका के सिविल लाइंस स्टेशन में भवनों और भूमि पर कर लगाने वाली सरकारी अधिसूचना संख्या 135 दिनांक 13.01.1870 को संशोधित करने के लिए धारा 128(1)(i) के तहत मसौदा प्रस्ताव। संकल्प लिया गया कि मसौदा प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु सूचित किया गया।"

उदाहरणार्थ, यह संकल्प दिखाता है कि मसौदा प्रस्ताव थे; वे मसौदा प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है और उनमें अनुभाग के लिए आवश्यक सभी विवरण शामिल होने चाहिए। हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं। इसलिए, हमने बताया कि यह स्थापित नहीं हुआ है कि लगाए गए कर धारा 131 और अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओ के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करके लगाए गए हैं।

अंतिम तर्क सफाईकर से संबंधित है। धारा 128(1)(xi) नगरपालिका बोर्ड को सफाईकर लगाने का अधिकार देती है। उस धारा के खंड (xii) पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसमें लिखा हैः "शौचालया और शौचालयों की सफाईके लिए एक कर"। कर लगाने वाली प्रासंगिक अधिसूचना में

लिखा है " संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 (1916 का II) की धारा 136 के साथ पठित धारा 135 की उपधारा (2) के तहत यह अधिसूचित किया जाता है कि बरेली का निर निगम बोर्ड उक्त अधिनियम की धारा 128(1)(xii) द्वारा प्रदत् शक्तियों ने, अधिसूचना संख्या 3298/XI-18 ज, दिनांक 20 सितम्बर 1933 के साथ प्रकाशित, अधिसूचना संख्या का अधिक्रमण करते हुए, बरेली नगरपालिका में निम्नलिखित सफाईकर लगाया है। 628/XI-18 ज, दिनांक 24 जनवरी 1923, 1 अप्रेल 1939 से प्रभावी।

कर का विवरण- नगरपालिका के सिविल लाइंस वार्ड के भीतर स्थित इमारतों (बंगलों) के कब्जेदार या मालिक से नीचे उल्लिखित दर पर मल और कचरा हटाने के लिए कर वसूला जाएगा।

उक्त अधिसूचना के अनुसार, नगर निगम बोर्ड द्वारा सिविल लाइंस क्षेत्र के प्रत्येक बंगले से मल और कचरा एकत्र किया जाता है। तर्क यह है कि नगरपालिका बोर्ड के पास अधिनियम की धारा 128(1) खण्ड (xii) के तहत सफाईकर लगाने की कोईशक्ति नहीं थी, और इसलिए कर लगाना अवैध है। नगर निगम बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि खंड (xii) अधिसूचना में उल्लखित खण्ड (xi) के लिए एक गलती है। सवाल यह है कि क्या नगर निगम बोर्ड को सफाईकर लगाने का अधिकार है। सफाईकर और शौचालयों तथा निजी घरों की सफाईके कर के बीच कुछ

अंतर होना चाहिए। संभवतः खंड (xi) खण्ड (xii) से अधिक व्यापक है। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा सिविल लाइंस स्थित बंगलों से मलबा और कूड़ा एकत्र किया जाता है। हालांकि उस फंक्शन का एक हिस्सा खंड (xii) द्वारा कवर किया गया है। संयुक्त फंक्शन अधिनियम की धारा 128 के खंड (xi) द्वारा कवर किया गया है। कर वैधता का प्रश्न किसी विषय के संबंध में कर लगाने की शक्ति के अस्तित्व पर निर्भर करता है। म्युनिसिपल बोर्ड के पास निश्चित रूप से मैला ढोने का कर लगाने की शक्ति थी। अधिसूचना में खण्ड (xi) की गलती प्रतीत होती है और इसे नगर निगम बोर्ड की कर लगाने की शक्ति पर कोईप्रभाव नहीं पड़ता है। इस विवाद में भी कोईदम नहीं है।

परिणामस्वरूप, याचिका जुर्माने सहित खारिज की जाती है।

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सरिता कायथ(न्यायिक अधिकारी)द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी

अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे◌े◌्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।